

चेक लिस्ट क्रमांक संख्या 35

राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक
भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007) - संगलन है


PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, KORBA (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला कोरबा, छत्तीसगढ़

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

क्र./2067 / भूअ./वन अधि./2019

कोरबा दिनांक 11 /12/2019

प्रति,

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर

कार्यालय परियोजना निदेशक

परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा रा.रा.संख्या 149ब के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.000, पैकेज-1 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्रामसभा की बैठक आयोजित कराने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र 26011/1/2019/प.नि.-बिला./चाम्पा-कटघोरा/फॉरेस्ट/3388 दिनांक 22.02.2019।

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वन मण्डल कोरबा, तहसील कोरबा अंतर्गत ग्राम उरगा एवं तहसील करतला अंतर्गत ग्राम बंजारी में मेसर्स भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर के परियोजना चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा रा.रा.संख्या 149ब के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.000, पैकेज-1 अंतर्गत प्रभावित वनभूमि/राजस्व वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लेख किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा से उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति/अभिमत प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परियोजना हेतु प्रभावित राजस्व वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)	रिमार्क
1	करतला	बंजारी	5	0.300	बड़े झाड़ के जंगल
2	कोरबा	उरगा	67	2.520	बड़े झाड़ के जंगल
योग				2.820	—

उपरोक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 के तहत निम्नलिखित हितग्राही का भूमि प्रभावित हो रहा है -

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	दावेदार का नाम/पिता का नाम जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है उनकी भूमि प्रभावित हो रही है	खसरा नंबर	वितरित रकबा (हेक्टेयर में)
1	करतला	बंजारी	रामलाल पिता पहारु जाति कंवर	5/1क	0.076
योग :-				01 हितग्राही	0.076

//2//



Handwritten signature and stamp.

संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन अनुसार उक्त परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि में विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवासरत नहीं है एवं प्रभावित नहीं हो रहे हैं। तथा शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा जैसे- अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन, पाठशाला इत्यादि प्रभावित नहीं होना प्रतिवेदित है।

अतः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विलासपुर के परियोजना चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा रा.रा.संख्या 149ब के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.000, पैकेज-1 निर्माण हेतु वन मण्डल कोरबा, तहसील कोरबा अंतर्गत ग्राम उरगा, तहसील पाली अंतर्गत ग्राम बंजारी में कुल रकबा 2.820 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी प्रयोजन बाबत उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है-

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि पर मेसर्स परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विलासपुर के परियोजना चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा रा.रा.संख्या 149ब के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.000, पैकेज-1 निर्माण हेतु वन मण्डल कोरबा, तहसील कोरबा अंतर्गत ग्राम उरगा, तहसील पाली अंतर्गत ग्राम बंजारी में कुल रकबा 2.820 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु दी जा रही है।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने पर संबंधित विभाग से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र परियोजना चाम्पा-कोरबा-छुरी-कटघोरा रा.रा.संख्या 149ब के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.000, पैकेज-1 निर्माण हेतु दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।
4. वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
5. यह अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तारण नहीं किया जा रहा है।

(श्रीमती किरण कौशल)

कोरबा (छत्तीसगढ़)

पृ. क्रमांक/2668/भू.अ./वन अधि./2019

कोरबा, दिनांक : 11/12/2019

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमंडलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा (छत्तीसगढ़)

22/4



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(राष्ट्रीय परिवहन और राजमार्ग विभाग, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
आचार्य पब्लिकस निदेशक, परिवहन कार्यालय इकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी-५१, एच.आई.डी. - ८, बिलासपुर सिटी, नया राव रोड से पीछे बिल्डिंग, बिलासपुर (छ.ग.)
D-51, H-51, Kailashra Park, Behind Hathi Bus Stand, Tiro, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752-291804
Phone : 07752-291804
Email : pibilaspur@nhai.org
Email : pibilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in



भारतभारता
सत्यमेव जयते

Undertaking

National Highway Authority of India, hereby gives the undertaking that the Collector NOC for Revenue forest land applied for Diversion of 4.493 Ha Forest for National Highway Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh Chhattisgarh. Package-I (0+00 to 38+150) has been applied to Collector Korba & Champa and it will be submitted before the Stage-1 approval.

Considering above, accept project for further procedure.

Date: 1/08/2019

Place: Bilaspur

(Signature & Seal of Authorised Signatory)

PROJECT DIRECTOR
NHAI, PIU, Bilaspur (C.G.)



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority Of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)
राष्ट्रीय परिवहन निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर
Office of Project Director, Project Implementation Unit, Bilaspur
डी.ए.1, एच.आई.डी.-1, बिलासपुर रोड, नया राई बंगला डी.डी. डिपो, बिलासपुर (छ.प्र.)
D-01, HSD-1, Aurangzeb Puram, Behind HSD Bus Stand, TBS, Bilaspur (C.G.) 495001

दूरभाष : 07752-291604
Phone : 07752-291604
Email : pibbilaspur@nhai.org
Email : picbilaspur@gmail.com
Web : www.nhai.gov.in



भारतमाला
एक ही जगह से सब कुछ

26011/5/2018/PD-BSP/CHAMPA-KATGHORA/FOREST/4116

REMINDER
Dated 30.07.2019

To

The District Collector,
Collectorate Building,
Korba, Chhattisgarh,

Sub:- Widening and Rehabilitation of existing two lane to four lane road Champa-Korba-Katghora Section of NH-149B, from Design Chainage 0+000 to 36+000, (Pkg-I) under NH (O) in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode-FRA 2006 certificate and Collector NOC for Revenue Forest Land - Reg.

Ref:- 1. M/s Dhruv Consultancy Services Limited letter no. 610 dated 17.07.2019
2. This office letter no. 4064 dt. 19.07.2019
3. This office letter no. 3330 dt 18.02.2019

Sir,

The National Highways Authority of India is preparing 4-laning of Champa-Korba-Katghora Section of NH-149B, from Design Chainage 0+000 to 36+000, (Pkg-I) under NH (O) in the state of Chhattisgarh on Hybrid Annuity Mode. The alignment of the road passes through Revenue Forest Land of 2.820 Ha. in Korba district. Details are as follows:-

District/ Forest Division	Sub District	Village	Khasra No.	Revenue Forest Land	Total Area (in Ha)
Korba	Kartala	Banjari	5	0.300	2.820
	Korba	Urga	67	2.520	

2. To apply for diversion of forest land under Forest Conservation Act, 1980, No Objection Certificate (NOC) for diverting the above mentioned 2.820 Ha land and Certificates as per Forest Rights Act (FRA), 2006 is solicited from your office.

Encl. as above

Yours faithfully

[Signature]
30/07/19
Project Director
PIU-Bilaspur

मुख्यालय : जी-5 एवं 6, सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली - 110075, दूरभाष : 011-25074100/200
H.Q. : G-5&6, Sector-10 Dwarka, New Delhi-110075, Telephone No. : 011-25074100/200